17/2/2025 वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादग्रस्त आराजी ख0न0 55 रकवा 0 1517 है0 वाके ग्राम फतेहाबाद तहसील व जिला धौलपुर में स्थित है। वादीगण के पिता एंव प्रतिवादी के पिता ने विवादित आराजी के भूखण्ड बनाकर विक्रय कर चुके है। मौके पर मकान बन चुके है। वादीगण को कोई वादकारण पैदा नही हुआ है। वादीगण ने सत्यता को छिपाते हुए गलत तथ्यो के आधार पर प्रतिवादी को हेरान परेशान करने के लिए पेश किया है। वादीगण के पिता पूर्व में ही ले आउट प्लान बनाकर विक्रय कर चुके थे। वादीगण का विवादग्रस्त में कोई हित अधिकार निहित नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे।

वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी राजस्व रिकॉर्ड मे आज भी वादीगण के पूर्व पुरूष हीरालाल एंव प्रति0 के पूर्व पुरूष नत्थीलाल के नाम दर्ज है। तथा विवादित आराजी राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि के रूप में दर्ज है। कृषि भूमि से संबधित समस्त वादो की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालयों को ही प्राप्त है। वादीगण के पूर्व पुरूष व प्रतिवादीगण के पूर्व पुरूष के बीच कोई बाहमी बंटबारा नही हुआ नाही वादीगण के पूर्व पुरूष ने प्रति0 के पूर्व पुरूष के हक में कोई रिलीज इत्यादि की है। बाहमी बंटवारे में लैण्ड होल्डर की मंजूरी आवश्यक है। बाहमी बंटबारे का तथ्य बिना साक्ष्य के तय नही किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र जिन आधारों पर प्रस्तुत किया है उसका निर्धारण आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत नही किया जा सकता है।अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने के कारण खारिज किया जावे।

तहसीलदार धौलपुर से विवदित आराजी के संबध में वर्तमान मौका की स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की गई जो इस आशय की प्राप्त हुई है कि ग्राम फतिहाबाद स्थित ख0नं0 55 रकवा 0.1517 है0 की खातेदार नत्थीलाल पुत्र रामलाल हि0 1/2 जाति काछी सा0 धौलपुर राहिन 1/2 राज0 ग्रामीण बैंक धौलपुर हीरालाल पुत्र रामलाल हि0 1/2 जाति काछी सा0 धौलपुर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर उक्त आराजी में पक्के रिहायशी मकान बने हुए है। पक्का आर.सी.सी. का रास्ता डला हुआ है एंव शेष भूमि खाली पडी है जिसे गैर कृषिक कार्यो में उपयोग लिया जा रहा है।

वकील उभयपक्ष ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र/ जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में आरआरटी 2023(2) पेज 1127, 2019 आरबीजे 231, आरबीजे (25) 2018, आरबीजे (26) 2019 पेज 518, 2018 आरबीजे 78, आरबीजे 2020 पेज 69, 2020 आरबीजे 695, आरबीजे

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

(26)2019 पेज 340, आरआरटी 2014(1) पेज 509 की प्रति बतौर नजीर पेश की।

वकील उभयपक्ष को सुनने, पत्रावली का अवलोकन करने तथा विद्वान वकील वादीगण की ओर से प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन कर मनन किया। वकील प्रार्थी ने प्रकरण में विवादित आराजी को भूखण्डो में विक्रय करना तथा मौके पर कृषि भूमि नही होना कहते हुए दावा खारिज करने का कथन किया है। वकील वादी ने प्रकरण में विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि दर्ज होना तथा कृषि भूमि से संबधित समस्त वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालयों को ही प्राप्त होना कथन किया है। तहसीलदार धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट में विवादित आराजी पर मौके पर मकान बना होना, आर0सी0सी0 रास्ता डला होना तथा खाली पडी जमीन का गैर कृषिक कार्यों में उपयोग लिया जाना बताया है। वादीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत नजीरों के तथ्य इस प्रकरण से भिन्न है जो इस प्रकरण पर चस्पा नही होती है। तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रकरण में विवादित आराजी कृषि भूमि नही है। मात्र रिकॉर्ड में कृषि भूमि दर्ज होने के आधार पर कृषि भूमि नही माना जा सकता है बल्कि भूमि मौके पर भी कृषि उपयोग में लिया जाना आवश्यक है। चूंकि प्रकरण में विवादित भूमि मौके पर कृषि भूमि नही है बल्कि मकानात बने है, आरसीसी रास्ता डला हुआ है तथा गैर कृषि उपयोग में आ रही है। अतः गैर कृषि कार्यो में उपयोग में आ रही भूमि की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है। अतः प्रकरण आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रकरण में विवादित भूमि गैर कृषि उपयोग की होने के कारण न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही होने से दावा वादीगण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)